संख्या-54/2016/964/26-3-2016-10(11)/2013

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2016

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद जौनपुर के ग्राम-केराकत में कक्षा-1 से 12 तक के 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-148/26-3-2014-10(11)/2013 दिनांक 08.01.2015 के क्रम में आपके पत्र संख्या-194-45/स0क0/विकास/रा0आ0प0वि0-केराकत-जौनपुर(77)/2015-16 दिनांक 21.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जौनपुर के अंतर्गत ग्राम केराकत में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0-1203.42 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत अर्थात रूपये-481.368 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यासी लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और द्वितीय किश्त की सम्मिलित राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा। दूसरी एवं तीसरी किश्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति, नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जायेगी। बकाया 5 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य के पूर्ण होने, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबंधी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा जोखा कार्यदायी संस्था से प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना,कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/डा[a]इंग बनाते समय प्रयोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती हैं तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-54/2016/964(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
5.जिलाधिकारी, जौनपुर।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर ।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8.प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0।
9.निदेशक, एन0आई0सी0।
10.बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
11.गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in